

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (II) DATED THE 10th Sept, 1999

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

New Delhi, dated the 10th Sept, 1999

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O. 228(E) dated the 17 March, 1994, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 6 Integrated Rural Development through health and medical services for rural poor and tribals, vocational training to tribals and rural poor between age of 15 to 35 years for poverty alleviation, income generation activities for development of women, promotion of gramodyog (cottage industries) for poverty alleviation and help to rural poor for constructing low cost houses, by SEWA-Rural (Society for Education, Welfare and Action-Rural), At & Post Office Jhagadia, District Bharuch-393110, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1994-95 which was further extended vide S.O. No.403(E) dated 6th June, 1996 by a period of three more years commencing from the assessment year 1997-98;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Integrated Rural Development through health and medical services for rural poor and tribals, vocational training to tribals and rural poor between age of 15 to 35 years for poverty alleviation, income generation activities for development of women, promotion of gramodyog (cottage industries) for poverty alleviation and help to rural poor for constructing low cost houses, which is being carried out by SEWA-Rural (Society for Education, Welfare and Action-Rural), At & Post Office Jhagadia, District Bharuch-393110, at the estimated cost of rupees four crores eighteen lakhs five thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the assessment year 2000-2001.


(POMELA B. PRASAD)
Director(NC)

No. 11068

F.No. NC-91/99

भारत के राजपत्र असाधारण भाग- II खण्ड-3 उपखण्ड (II) में
दिनांक 10 सितम्बर, 1999 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर, 1999

अधिसूचना

सां० आ०..... (अ०) जबकि आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 17 मार्च, 1994 को जारी की गई अधिसूचना सं० सां० आ० 228 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सेवा -ग्रामीण (सोसायटी फार एजुकेशन, वेलफेयर एण्ड एक्शन -ग्रामीण) , डाकघर झगड़िया, जिला भड़ौच-393110 द्वारा ग्रामीण निर्धनों तथा जनजातियों के लिए स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से समन्वित ग्रामीण विकास, गरीबी निवारण हेतु 15 से 35 वर्ष की आयु वाले जनजातियों तथा ग्रामीण निर्धनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के उन्नयन हेतु आय उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों , गरीबी निवारण हेतु ग्रामोद्योग (कुटीर उद्योग) को बढ़ावा तथा ग्रामीण निर्धनों की सहायता के लिए अल्प लागत के आवासों के निर्माण हेतु निर्धारण वर्ष 1994 -1995 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 6 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे दिनांक 6 जून 1996 के सां० आ० सं० 403 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 1997 -98 से शुरू होने वाले और तीन वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, .

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है, .

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पूडित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है, .

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ख के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा -ग्रामीण (सोसायटी फार एजुकेशन, वेलफेयर एण्ड एक्शन -ग्रामीण) , डाकघर झगड़िया, जिला भड़ौच-393110 द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण निर्धनों तथा जनजातियों के लिए स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से समन्वित ग्रामीण विकास, गरीबी निवारण हेतु 15 से 35 वर्ष की आयु वाले जनजातियों तथा ग्रामीण निर्धनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के उन्नयन हेतु आय उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों , गरीबी निवारण हेतु ग्रामोद्योग (कुटीर उद्योग) को बढ़ावा तथा ग्रामीण निर्धनों की सहायता के लिए अल्प लागत के आवासों के निर्माण की स्कीम अथवा परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले एक वर्ष की आगे की अवधि के लिए मात्र चार करोड़ अठारह लाख पांच हजार रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

10/8/99